संख्याः-21/2023/I/374438/38-4002-003-1-2023

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ उप महालेखाकार,
कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक.)-प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त, 2023

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अवशेष केन्द्रांश को भारत सरकार को वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/373827/38-4002(003)/1/2023, दिनांक 23 अगस्त, 2023(छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार से अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत टी.एस.पी. मद(अनुसूचित जनजाति वर्ग) में प्राप्त केन्द्रांश रूपये 11621.10 लाख में से अवशेष केन्द्रांश की धनराशि रूपये 4421.10 लाख (रूपये चौवालीस करोड़ इक्कीस लाख दस हजार मात्र) का भुगतान/वापसी भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के माध्यम से अर्न्तराज्यीय समायोजन एडवाइस(Inter Governmental Adjustment Advice) द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवशेष केन्द्रांश रूपये 4421.10 लाख रूपये (रूपये चौवालीस करोड़ इक्कीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य के खाते से डेबिट कर भारत सरकार के खाते में क्रेडिट किये जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को अर्न्तराज्यीय समायोजन एडवाईस (Inter Governmental Adjustment Advice) प्रेषित करने का कष्ट करें।

3. एतदसंबंधी धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक "1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-06-केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें-900-घटायें-वापसियां-01-वापसियां" के अन्तर्गत आहरित कर वापस की जायेगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के **अशासकीय संख्या-ई0-2-115/दस-2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
एस0 पी0 उपाध्याय
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 21/2023/I/374438(1)/38-4002-003-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

2- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

4- महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, वेस्ट हाई कोर्ट रोड, नागपुर।

5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवशेष केन्द्रांश रूपये 4421.10 लाख को भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन एडवाईस ( Inter Governmental Adjustment Advice) द्वारा भारत सरकार को वापस करने का कष्ट करें।

6- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना अनुभाग-2

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-4
संख्या-I/373827/38-4002(003)/1/2023
लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-81 में अवशेष केन्द्रांश को भारत सरकार को वापस किये जाने के संबंध में।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12036/01/2023-आरएच(ए/सी)उत्तर प्रदेश-1(बी), दिनांक 22.06.2023 द्वारा अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत टी.एस.पी. मद(अनुसूचित जनजाति वर्ग) में रूपये 11621.10 लाख की धनराशि राज्य सरकार को अवमुक्त की गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत केन्द्रांश हेतु रूपये 7200.00 लाख का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि 7200.00 लाख निर्गत की जा चुकी है तथा रूपये 4421.10 लाख की धनराशि अभी भी अवमुक्त होना शेष है। पर्याप्त बजट की व्यवस्था न होने के कारण केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रूपये 4421.10 लाख (रूपये चौवालीस करोड़ इक्कीस लाख दस हजार मात्र) भारत सरकार को समर्पित किया जाना है।

2. अतः उक्तानुसार अवशेष केन्द्रांश रूपये 4421.10 लाख(रूपये चौवालीस करोड़ इक्कीस लाख दस हजार मात्र) का भुगतान/वापसी भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के माध्यम से अर्न्तराज्यीय समायोजन एडवाईस (Inter Governmental Adjustment Advice) द्वारा भारत सरकार को किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

3. एतद्संबंधी धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक "1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-06-केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें-900-घटायें-वापसियां-01-वापसियां" के अन्तर्गत आहरित कर वापस की जायेंगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के **अशासकीय संख्या-ई0-2-114/दस-2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

एस0 पी0 उपाध्याय,
विशेष सचिव।

संख्या-I/373827(1)/38-4-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2-प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4-अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।